न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/35/2014

उनवान

1. बंशीलाल पुत्र रतना कलाल, निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा
2. मदन लाल पुत्र रतना कलाल निवासी मोहनपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये क्षैत्रिय वन अधिकारी, वन विभाग माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 44/2002 निर्णय एवं दिनांक 21.10.2002

अधिवक्तागण :–

1. श्री विनोद आचार्य, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. .श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति तहसील माण्डलगढ के द्वारा अप्रार्थी को ग्राम दोला जी का खेडा की आराजी नम्बर 296 रकबा 4.10 बीघा व आराजी नम्बर 297 रकबा 3 बीघा का दिनांक 23.5.1989 को नियत शर्तो पर कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। जबकि यह भूमि वन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.2 (27) राज/8/78 दिनांक 7.2.79 से अन्य आराजियात के साथ–साथ वन विभाग को घोषित की गई है। ऐसी भूमि वन अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की बिना स्वीकृति के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा सकती है। उक्त ग्राम का बन्दोबस्त हुआ उस दौरान यह भूमि बिलानाम सिवायचक दर्ज कर दी गई जो गलत हो उपरोक्त भूमि पर आधिपत्य वन विभाग का होकर काबिज काश्त नहीं है तथा पथरीली भूमि है, वन विभाग की ओर से पैड पौधे लगाये जाने पर काफी धनराशि खर्च कर विभागीय कार्य करवाया गया है। अतः यह आवंटन नियमान्तर्गत न होने से निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स का निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व आज भी अपीलाण्ट्स का कब्जा है। अपीलाण्ट्स को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की आवश्यकता होने से दिनांक 10.1.2014 को पटवारी पटवार हल्का मोखुन्दा के यहॉ गये तो अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई कि अपीलाण्ट्स के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर उक्त भूमि दर्ज नही है। इस पर अपीलाण्ट्स ने राजस्व रेकार्ड की नकलें हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13.1.2014 को पेश किया व नकलें दिनांक 15.1.2014 को प्राप्त हुई तब अपीलाण्ट्स को प्रथम बार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम दोल जी का खेडा की आराजी नम्बर 296 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नम्बर 297 रकबा 03 बीघा का आवंटन अपीलाण्ट्स के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ निर्धारित शर्तो पर आवंटन की गई थी। राज्य सरकार द्वारा आवंटन हेतु उद्घोषणा जारी होने के पश्चवात अपीलाण्ट के पिता ने आवंटन हेतु आवेदन किया और समिति द्वारा आवंटन किया गया । अपीलाण्ट्स के पिता ने अपनी मर्जी से कोई अतिक्रमण कर कब्जा नहीं किया है। आवंटन के समय आराजी मुतनाजा सिवाय चक दर्ज थी और आवंटन के लिए उपलब्ध थी। राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत आराजी मुतनाजा को वन विभाग की होना माना गया है। यदि समय रहते अधिसूचना की पालना कर आवंटित की गई आराजी बाबत अमल दरामद वन विभाग के पक्ष में दिया गया हो तो अपीलाण्ट्स के पिता किसी अन्य आराजी के आवंटन हेतु आवेदन करता । अपीलाण्ट्स के पिता ने कोई तथ्य छुपाकर कपटपूर्वक आवंटन नहीं कराया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट्स के पिता को किये गये आवंटन को निरस्त करने में भारी भूल की है।

6. अपीलाण्ट्स के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त आवंटन अपीलाण्ट्स के पिता को नियमान्तर्गत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुआ है सलाहकार समिति द्वारा विधिसंगत कार्यवाही करते हुए यह आवंटन किया गया है। जिस पर आवंटन के पश्चात से ही अपीलाण्ट्स के पिता का कब्जा चला आ रहा था व उनके देहान्त के उपरान्त अपीलाण्ट्स काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, भूमि को काबिलकाश्त बनाने में काफी राशि खर्च की है, विधि के अनुसार अपीलाण्ट्स के पिता को खातेदारी अधिकार मिल चुके थे । यदि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान किसी प्रकार का गलत इन्द्राज हुआ है तो उसकी दुरूस्ती रेस्पोडेण्ट को करानी चाहिये थी। यह कार्यवाही रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं की गई है। अतः अपीलाण्ट्स के पिता के पक्ष में किये गये वैध आवंटन को निरस्त नहीं किया जाता सकता है। उक्त तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने का निवेदन किया । साथ ही यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण के पिता को आवंटन किये जाने से पूर्व ही अन्य आराजियात के साथ वन विभाग को घोषित की गई है। ऐसी भूमि वन अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की बिना स्वीकृति के अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं ली जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद माना जाता है।

9. अपीलार्थी का यह कथन है कि अपीलार्थीगण के पिता को ग्राम दोलजी का खेडा की आराजी नम्बर 296 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 297 रकबा 3 बीघा का दिनरांक 23.5.1989 को नियत शर्तो पर कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 458 दिनांक 30.6.2000 द्वारा वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी अपीलार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज की गई है। उसके उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 497 दिनांक 20.12.2002 से वाग्रस्त आराजी नम्बर 296 मीन रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 550/297 रकबा 3 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया गया है। वादग्रस्त आराजियात का अपीलाण्ट्स के पिता को आवंटन किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि के साथ अन्य आराजियात भी शासन सचिव राजस्व विभाग (ग्रुप–8) राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित अधिसूचना विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(27)राज/8/78 दिनांक 7.2.1979 के द्वारा वन हेतु आरक्षित की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार प्रश्नगत भूमि कृषि कार्य के लिए या अन्य किसी प्रयोजन के लिए निषि किया गया है। विज्ञप्ति के साथ सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा मूर्तिब खसरा बन्दोबस्त की प्रति से यह विदित होता है कि यह भूमि वन विभाग के अधिनस्थ होकर वन हेतु आरक्षित थी। नियमानुसार ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 (27) के तहत औक्यूपाईड लैण्ड की श्रेणी मे आती है एवं ऐसी ओक्यूपाईड लैण्ड का किसी अन्य

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि वन हेतु आरक्षित होकर वन विभाग के आधिपत्य की भूमि है ऐसी भूमि का अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना आरंभ से ही शून्य योग्य ठहरता है।

10. जबकि अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन रहा है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त आवंटन नियम 14 (4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। चूंकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थीगण के पिता को जो आवंटन किया गया है वह विधि के विपरीत किया गया है। ऐसा आवंटन आरंभ से ही शून्य प्रभावी होकर निरस्त किया जा सकता हैं। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में दिनांक 26.3. 1997 को निम्नानुसार संशोधन किया जाकर नई धारा जोडी गई है। " If the allotment of land is cancelled or the land is ordered to be resumed under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act,1956 (Rajasthan Act No. 15 or 1956) or rules framed there under any other law for the time being in force."

11. अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में नई धारा (ix) जोडने के पश्चात उसके खातेदारी अधिकार स्वतः ही extinqnished हो जाते हैं। अतः नियम 14 (4) के तहत इस मामले में खातेदारी अधिकार दिये जाने के पश्चात भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

12. अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2002 को यथावत रखा जाता है।

14. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा